

राजस्थान सरकार

(कायदा - 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेंक्स फार्म नंबर 8 के
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला - भीलवाड़ा (राज.)

2024/145

किस्म मुकदमा 1	नंबर मुकदमा 2	तारीख दायर 3	तारीख फैसला 4	पेशी दिनांक 5
111/128	84/24	03/04/24		18/4/24
			AMT 9/5/24	

अनवान

श्री रामलाल s/o लक्ष्मीचन्द रेगार

श्री बरकाम w/o सी हनलाल रेगार

निवासी थड़ीदा तह बिजौलिया

निवासी थड़ीदा तह बिजौलिया

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्त

अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी / रेषपोडेंट

डिक्रीदार

मदयून

श्री सुनिल बाकलीवाल Adv.

श्री

FORM NO. III

फर्द अहकम

(नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

बिजौलियां

रामलाल

बनाम

बदाम कोठ

किरम मुकदमा -

111, 128 र 129 नं. के

नम्बर

84 / 2024

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए

3 / 4 / 2024

प्रार्थना पत्र सीगे से बाद जांच पेश हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र जारी हों। पत्रावली वास्ते तलबी/जवाब दिनांक 18/04/2024 को पेश हों।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

18/4/24

पत्रावली पेश हुई। एडिवाइस दी। उपस्थित श्रीमान P.O. का दौरा हुआ। दिनांक 23/4/24 को जज के पास आया।

उपखण्ड अधिकारी

23/4/24

पत्रावली पेश हुई। अधिकारता पार्थी उपस्थित। विपरीत की बाह तलबी शर्त हुई, बिले शामिल पत्रावली किया गया। विपरीत के बिले एवं पक्षीय कार्यवाही की गई। पत्रावली वास्ते निर्णय बतल आगामी दिनांक 09/05/24 को पेश हों।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां जिला-भीलवाडा

9/5/24

पत्रावली पेश हुई। अधिकारता पार्थी उपस्थित। पत्रावली में निर्णय/आदेश पार्थी विले एवं तलबीपर बिजौलियां के पाल्सा के लिए लिखा गया। पत्रावली पार्थी शुमार होकर नम्बर से कम होकर दोबारा पेश हों।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां जिला-भीलवाडा



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलियाँ, जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या :- 84/2024

तारीख दायर 3.4.24
3-4-24

रामलाल पुत्र लखमा उर्फ लक्ष्मीचन्द जाति रेगर उम्र वयस्क निवासी थड़ौदा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0) ---प्रार्थी

बनाम

- 1- बदाम पत्नि स्व0 मोहनलाल जाति रेगर उम्र वयस्क निवासी थड़ौदा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
- 2- प्रभुलाल पुत्र मोडुलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी थड़ौदा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
- 3- कालु पुत्र मांगीलाल जाति रेगर उम्र वयस्क निवासी थड़ौदा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
- 4- बालु पुत्र मियाचन्द जाति रेगर उम्र वयस्क निवासी थड़ौदा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
- 5- जगदीश पुत्र किशना जाति खाती उम्र वयस्क निवासी थड़ौदा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
- 6- भैरू पुत्र कैला जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी थड़ौदा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
- 7- कैलाश पुत्र बालु जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी थड़ौदा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
- 8- भु-स्वामी मार्फत तहसीलदार महोदय बिजौलियाँ तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा राज0 ---विपक्षीगण

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 11-128 रा0ले0रे0 एक्ट

:-आदेश:-

दिनांक 09/05/24

प्रार्थनापत्र प्रार्थी श्री रामलाल ने जरिये अभिभाशक श्री सुनिल बाकलियाल प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते कि भूमि ग्राम थड़ौदा पटवार क्षेत्र थड़ौदा, भु-अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र बिजौलियाँ खुर्द, तहसील बिजौलियाँ में स्थित खाता संख्या 414 आराजी नंबर 1098/2, 1105/3, 1106/3, 1108/4, 1186/2, 1186/7, 34/3 कुल किता 07 रकबा 0.9226 हैक्टेयर भूमि खातेदारी एवं खाता संख्या 571 आराजी नंबर 1921/7 रकबा 0.8094 हैक्टेयर भूमि गैर खातेदारी भूमि स्थित है। विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगड़ा फसाद करते हैं। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ में प्रार्थनापत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न हैं।

प्रार्थना पत्र रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गयी और पत्रावली का अवलोकर किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत 2073-2076 के अवलोकर से प्रार्थी वादग्रस्त आराजियात का खातेदार/गेर खातेदार काश्तकार हैं। पड़ोसियान के विवाद करने बाबत शपथपत्र संलग्न हैं। पत्थरगढी से किसी के स्वात्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडता हैं।

अतः प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया ग्राम थड़ौदा पटवार क्षेत्र थड़ौदा, भु-अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र बिजौलियाँ खुर्द, तहसील बिजौलियाँ में स्थित खाता संख्या 414 आराजी नंबर 1098/2, 1105/3, 1106/3, 1108/4, 1186/2, 1186/7, 34/3 कुल किता 07 रकबा 0.9226 हैक्टेयर भूमि खातेदारी एवं खाता संख्या 571 आराजी नंबर 1921/7 रकबा 0.8094 हैक्टेयर भूमि गैर खातेदारी भूमि की बाशामालात पड़ोसियान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता हैं एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100/- रुपये राजकोश में जमा होने पर पलनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावे।

प्रार्थनापत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हों।

आदेश सुनाया गया।



उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ, भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज०)

प्रकरण संख्या :- 84/2024

तारीख दायर 3/4/24

प्रेषिति :-

तहसीलदार
बिजौलियों

विषय :- प्रकरण संख्या 84/2024 पत्थरगढी बाबत।

रामलाल पुत्र लखमा उर्फ लक्ष्मीचन्द जाति रेगर उम्र वयस्क निवासी थड़ौदा तहसील बिजौलियों जिला भीलवाड़ा (राज०) —प्रार्थी

बनाम

- 1- बदाम पत्नि स्व० मोहनलाल जाति रेगर उम्र वयस्क निवासी थड़ौदा तहसील बिजौलियों जिला भीलवाड़ा (राज०)
- 2- प्रभुलाल पुत्र मोडुलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी थड़ौदा तहसील बिजौलियों जिला भीलवाड़ा (राज०)
- 3- कालु पुत्र मांगीलाल जाति रेगर उम्र वयस्क निवासी थड़ौदा तहसील बिजौलियों जिला भीलवाड़ा (राज०)
- 4- बालु पुत्र मियाचन्द जाति रेगर उम्र वयस्क निवासी थड़ौदा तहसील बिजौलियों जिला भीलवाड़ा (राज०)
- 5- जगदीश पुत्र किशना जाति खाती उम्र वयस्क निवासी थड़ौदा तहसील बिजौलियों जिला भीलवाड़ा (राज०)
- 6- भैरू पुत्र कैला जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी थड़ौदा तहसील बिजौलियों जिला भीलवाड़ा (राज०)
- 7- कैलाश पुत्र बालु जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी थड़ौदा तहसील बिजौलियों जिला भीलवाड़ा (राज०)
- 8- भू-स्वामी मार्फत तहसीलदार महोदय बिजौलियों तहसील बिजौलियों जिला भीलवाड़ा राज० —विपक्षीगण

उपर्युक्त विशयान्तत अनवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख है कि ग्राम थड़ौदा पटवार क्षेत्र थड़ौदा, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बिजौलियों खुर्द, तहसील बिजौलियों में स्थित खाता संख्या 414 आराजी नंबर 1098/2, 1105/3, 1106/3, 1108/4, 1186/2, 1186/7, 34/3 कुल किता 07 रकबा 0.9226 हैक्टेयर भूमि खातेदारी एवं खाता संख्या 571 आराजी नंबर 1921/7 रकबा 0.8094 हैक्टेयर भूमि गैर खातेदारी भूमि की बशमलात पड़ोसीयान के पत्थरगढी कब्जा जावें। मौके पर पत्थरगढी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जायिये पत्थरगढी कब्जा नही हटया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक बिजौलियों खुर्द को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 5000 तथे कि जाती है वक्त मोके पर प्रार्थी अदा करेगा। पत्थरगढी करने से पुर्व पड़ोसी एवं विपक्षीगणो को सुचित करते हुए पत्थरगढी करें। पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन मे आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।



उप खण्ड अधिकारी
बिजौलिया जिला भीलवाड़ा
3/4/24